पत्रांक–1/एफ1–127/06 (खण्ड) श्र०सं०........

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार,
उप श्रमायुक्त (मुख्यालय)।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषयः– **नगरपालिका आम निर्वाचन, 2025 : मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश घोषित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1477, दिनांक–24.05.2025**

महाशय,

निदेशानुसार उपयुर्क्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि नगरपालिका आम निर्वाचान, 2025 सम्पन्न कराये जाने हेतु दिनांक–28.06.2025 को मतदान कराया जाना निर्धारित है।

उल्लेखनीय है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 471 में मतदान के दिन सवेतन अवकाश घोषित किये जाने का प्रावधान किये गये हैं। उक्त धारा का अवतरण निम्नवत् है :–

''**471–मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने की मंजूरी**–(1) किसी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित और राज्य की नगरपालिकाओं के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जायेगा।

(2) उप–धारा–(1) के अनुसार प्रदान किये गये अवकाश के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी में कोई भी कमी या कटौती नहीं की जायेगी और यदि वह व्यक्ति इस आधार पर नियोजित है कि वह ऐसे दिन के लिए मजदूरी साधारणतया प्राप्त नहीं करेगा, फिर भी उसे ऐसे दिन के लिए मजदूरी का भुगतान उसी प्रकार से किया जायेगा, जिस प्रकार से वह अवकाश प्रदान नहीं किये जाने पर प्राप्त करता।

(3) यदि कोई नियोक्ता उपधारा–(1) या उपधारा–(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, तो ऐसा नियोक्ता, पाँच सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा उस किसी ऐसे निर्वाचन पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति उस नियोजन की बाबत खतरा या सारभूत हानि पहुँचा सकती हो, जिसमें वह कार्यरत हो।''

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा मतदान के दिन संबंधित नगरपालिका के निर्वाचान क्षेत्र में सवैतनिक अवकाश घोषित करना आवश्यक समझा गया है, जिससे कि राज्य के संबंधित नगरपालिका के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अपना मत देने हेतु अवकाश प्रदान किया जा सके।

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2025 के अन्तर्गत निर्धारित मतदान की तिथि दिनांक–**28.06.2025 (शनिवार)** को निर्धारित है। उक्त निर्धारित मतदान की तिथि को संबंधित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/कारखानों में नियोजित कर्मियों/पदाधिकारियों को अपने मताधिकार के प्रयोग का अवसर देने हेतु सूचना का प्रकाशन बिहार में प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाना है।

अतः अनुरोध है कि बिहार में प्रकाशित होने वाले हिन्दी, उर्दू एवं अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों में उक्त सूचना निर्वाचन तिथि के एक दिन पूर्व निश्चित रूप से प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनु०–सॉफ्ट कॉपी एवं सूचना की प्रति।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(राजेश कुमार)
उप श्रमायुक्त (मुख्यालय)।

ज्ञापांक :–1/एफ1–127/06 (खण्ड) श्र०सं०............ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–श्रम अधीक्षक, निर्माण श्रमिक–सह–नोडल पदाधिकारी, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पटना/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त सूचना के प्रकाशन हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करवाने की कृपा की जाय।

ह०/–
उप श्रमायुक्त (मुख्यालय)।

ज्ञापांक :–1/एफ1–127/06 (खण्ड) श्र०सं० 3552 पटना, दिनांक– 20/06/25

प्रतिलिपिः– आई०टी०, मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

20-06-2025

उप श्रमायुक्त (मुख्यालय)।

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

आवश्यक सूचना

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2025 के अंतर्गत निम्नांकित रिक्त पदों पर दिनांक–28, जून 2025 को मतदान कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित है।

क्र0 सं0	जिला का नाम	क्रमांक	नगरपालिका का नाम	पद का नाम
1	रोहतास	1	नगर पंचायत, कोचस	पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद
2	पूर्वी चम्पारण	2	नगर पंचायत मेहसी	पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद
		3	नगर पंचायत पकड़ीदयाल	पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद
3	पटना	4	नगर पंचायत, खुशरूपुर	पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद
		5	नगर पंचायत, नौबतपुर	पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद
		6	नगर पंचायत, बिक्रम	पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 471 में मतदान के दिन सवेतन अवकाश घोषित किये जाने का प्रावधान किये गये हैं, जिसका संगत अवतरण निम्नवत् है :–

"**471–मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने की मंजूरी**–(1) किसी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित और राज्य की नगरपालिकाओं के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जायेगा।

(2) उप–धारा–(1) के अनुसार प्रदान किये गये अवकाश के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी में कोई भी कमी या कटौती नहीं की जायेगी और यदि वह व्यक्ति इस आधार पर नियोजित है कि वह ऐसे दिन के लिए मजदूरी साधारणतया प्राप्त नहीं करेगा, फिर भी उसे ऐसे दिन के लिए मजदूरी का भुगतान उसी प्रकार से किया जायेगा, जिस प्रकार से वह अवकाश प्रदान नहीं किये जाने पर प्राप्त करता।

(3) यदि कोई नियोक्ता उपधारा–(1) या उपधारा–(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, तो ऐसा नियोक्ता, पाँच सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा उस किसी ऐसे निर्वाचन पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति उस नियोजन की बाबत खतरा या सारभूत हानि पहुँचा सकती हो, जिसमें वह कार्यरत हो।"

अतः राज्य सरकार बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 471 के आंलोक में यह निदेश देती है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2025 के अन्तर्गत ऐसे सभी कर्मियों के लिए जो नगरपालिका निर्वाचन में मतदान करने के लिए योग्य हैं, संगत अधिनियमों के अधीन मतदान की तिथि दिनांक–28.06.2025 को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करें तथा अनिवार्य कार्यो के संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करें।

20/06/25

(दीपक आनन्द)

सचिव

400 I Misc